न्यायालय मान0राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग/3489-II-15

प्र0क0 / दो /2015 निगरानी

रामा वाई पुत्री दलपत यादव
निवासी ग्राम पलेरा तहसील
तहसील पलेरा जिला टीकमगढ
--आवेदक

श्री ओ० पी० नायक एड०
द्वारा आज दि. 26/10/15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्व

मध्यप्रदेश शासन -- अनावेदक

(कलेक्टर कार्यालय, भू अभिलेख टीकमगढ़ व्दारा जारी निर्देश क्रमांक802/18/भू-अभि/कम्प्युटर/2015 आदेश दिनांक 19-5-2015 के पालन कराये जाने हेतु निगरानी - अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959)

महोदय,

(निगरानी प्रस्तुत करने के संक्षिप्त कारण)

यह कि आवेदिका ग्राम पलोहार स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1490/3 ब, 1518/2 क, 1518/25/1, 1806/22/5, 1622/22/6/2 कुल रकबा 1.880 हैक्टर की भूमिस्वामी है इस भूमि का पटटा आवेदिका की मॉ को तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3 अ 19/88-89 में पारत आदेश दिनांक 15-3-88 से दिया गया, जिसका अमल शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के श्रीमान अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 36 बी 121/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 21-5-13 से दिये, आदेश का अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों व्दारा न किये जाने पर आवेदिका ने श्रीमान अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3489/II/2015 निगरानी जिला......टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
16-11-2015	आवेदिका के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदिका के अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया तथा कलेक्टर, भू अभिलेख टीकमगढ़ व्दारा जारी निर्देश कमांक 802/18/भू–अभि/कम्प्युटर/2015 दि. 19–5–2015 का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अभिलेख अनुसार आवेदिका की ग्राम पलोहार स्थित भूमि सर्वे कमांक 1490/3 ब, 1518/2क, 1518/25/1, 1806/22/5, 1622/22/6/2 कुल रकबा 1.880 हैक्टर माँ से प्राप्त भूमि है जो तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 3 अ 19/88–89 में पारित आदेश दिनांक 15–3–88 से आवेदिका की माँ को पटटे पर प्राप्त हुई है। इसी भूमि का राजस्व अभिलेख में अमल रह जाने से अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 36 बी 121/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 21–5–13 से अमल करने के आदेश पारित किये हैं। राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों व्दारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 21–5–13 का पालन न करने के कारण आवेदिका ने अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 359 अ 19/13–14 प्रस्तुत की, जिसमें पारित आदेश दिनांक 11–3–14 से राजस्व अभिलेख में अमल करने के आदेश हुये, फिर भी राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने अपर आयुक्त के आदेश का पालन नहीं किया। इसके वाद शासकीय अभिलेख में इन्द्राज करने के	

लिये कलेक्टर, टीकमगढ़ को आवेदन देने पर कलेक्टर, भू अभिलेख टीकमगढ़ व्दारा कमांक 802/18/भू–अभि/कम्प्युटर/2015 दि. 19–5–2015 से अमल के निर्देश दिये, फिर भी शासकीय अभिलेख में राजस्व अधिकारियों/कर्मचारियों ने अमल नहीं किया , जिसके कारण यह निगरानी राजस्व मण्डल में उक्तादेशों के पालन कराने हेतु प्रस्तुत की गई है।

3/ उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के राजस्व अधिकारियों/ कर्मचारियों व्दारा वरिष्ठ के आदेशों का पालन नहीं किया गया। विचार योग्य है कि वरिष्ठ के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तद्नुसार निगरानी अँशतः स्वीकार की जाकर तहसीलदार पलेरा को आदेश दिये जाते हैं कि यदि राजस्व मण्डल से अथवा माननीय व्यवहार न्यायालयों से उक्तांकित भूमि के सम्बन्ध में यदि विपरीत आदेश नहीं हुये हों, तत्काल वरिष्ठ के आदेशों का पालन कराया जावे।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर

16-11-15

16-11-15